(15) 123

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

जिला–ग्वालियर (म0प्र0)

R-1967-II/14

COURT FEE 20 Rs. भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित / विलोपित

Rs 20/-

1. रामचन्द्र तनय तिलकधारी गड़ेरी,
2. रामप्रसाद तनय तिलकधारी गड़ेरी,
3. रामकिशुन तनय छोटेलाल गड़ेरी,
4. इन्द्रकुमार तनय छोटेलाल गड़ेरी सभी निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील देवसर जिला–सीधी वर्तमान जिला–सिंगरौली (म0प्र0)..........आवेदकगण

बनाम

1. रामलल्लू तनय राजमन गड़ेरी,
2. जग्यलाल तनय बबई गड़ेरी,
3. बिट्टी तनय लालमन गड़ेरी सभी निवासी ग्राम बड़ोखर तहसील देवसर जिला–सीधी वर्तमान जिला–सिंगरौली (म0प्र0)..........अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय देवसर जिला–सिंगरौली के प्रकरण क्र. 18/अ–74/2013–14 में पारित ओदश दिनांक 11.02.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदकगण द्वारा निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत है :–

(15)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग1967–II / 2014 जिला–सिंगरौली

रामचन्द्र गड़ेरी / रामलल्लू गड़ेरी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देवसर के प्रकरण क्रमांक 18 / अ–74 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	